

वनभूमि की माँग का औचित्य

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पदन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में 1634 से अधिक आबादी वाले असंयोजित बसावड़ों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्रांक 1491/पी0 3-14/यू0आर0आर0डी0ए0/10 दिनांक 18-3-2010 के द्वारा 250-499 तक जनसंख्या वाली असंयोजित व बसावटों को बारह मासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु 15.000 कि.मी. की प्राप्ति हुई है। जिसकी वास्तविक लम्बाई 14.200 कि.मी. आ रही है। इस मार्ग के बनने से ग्राम झुनेली, कूँण, झलपुड़ी, भुम्वाड़ी, रीठा के ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं।

उक्त ग्रामों में अभी तक कोई भी मोटर मार्ग नहीं है। इस क्षेत्र का विकास खण्ड व तहसील उपजिलाधिकारी जिला मुख्यालय चम्पावत है। इस मार्ग के बनने से इस क्षेत्र का सीधा सम्पर्क विकास खण्ड, तहसील, उपजिलाधिकारी व जनपद से हो जायेगा। इस ग्राम में लगभग 558 जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में साग-सब्जी फल इत्यादि काफी मात्रा में उत्पादित होते हैं। कृषकों को इसका उचित मूल्य मिल पायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों के नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वनभूमि की श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के निर्माण में वनपंचायत भूमि 0.595 हे०, सिविल भूमि 4.795 हे० कुल वनभूमि मोटर मार्ग हेतु 5.390 हे० एवं मलुवा निस्तारण हेतु वनपंचायत भूमि 0.150 हे०, सिविल भूमि 1.400 हे० कुल 1.550 हे० ली गयी है। इस प्रकार कुल वनभूमि 6.940 हे० प्रभावित हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार इस मार्ग की महत्ता को देखते हुए वनभूमि प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अ.श.अ.
निर्माण

स.स.

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट

ह०/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

अधीनस्थ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
सिंचाई खण्ड, लोहाघाट (चम्पावत)